महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या-73/91/84-डे0ई0-14-नि0-20/2002

प्रेषक,

सुनील कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 04 मार्च, 2014

विषय:- श्री उमेश चन्द्र जायसवाल, सेवाच्युत बिक्रेता, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के विरूद्व पारित दण्डादेश दिनांक 14-02-2008 पर की गयी अपील दिनांक 14-03-2008 का निस्तारण किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-22/स्था0एस0/बत्तीस-2014, दिनांक 29-01-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुपालन में शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 द्वारा श्री रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव को उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का अध्यक्ष नामित/नियुक्त किया जा चुका है, जबकि इसके पूर्व प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, जोकि अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण भी थे, को निगम के बोर्ड द्वारा दिनांक 27-06-2012 को अपीलीय प्राधिकारी भी नामित किया गया है। जबकि इस संबंध में शासन का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।

2- अत: प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निगम कार्मिकों की अपीलों के निस्तारण हेतु अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को अपीलीय प्राधिकारी नामित किये जाने के संबंध में अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनील कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/